संख्या-20/2016-सा-3-374/दस-2016-322(1)/2008

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक: 22 जून, 2016

विषयः- सेवायोजित पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति सेवायोजित असाधारण पेंशन भोगियों को महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-चार-1600/2012 दिनांक 04-04-2016 द्वारा अनुरोध किया गया है कि सेवायोजित पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-7/2016-3-2180/दस-2016-308(06)/2000 दिनांक 17-03-2016 के अनुसार पुलिस मुख्यालय के मृत कर्मचारियों के सेवायोजित आश्रितों को असाधारण पेंशन पर भी मंहगाई राहत का भुगतान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जाये।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट किये जाने के निदेश हुआ है कि असाधारण पेंशन वस्तुत: पारिवारिक पेंशन ही है जो अतिविशिष्ट परिस्थितियों में, कर्तव्य पालन के दौरान सक्रिय ड्यूटी करते हुये अथवा सेवा में निहित विशेष जोखिम के कारण किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को स्वीकृत की जाती है। अत: शासनादेश दिनांक 17-03-2016 की व्यवस्था उ0प्र0 सिविल (असाधारण पेंशन) नियमावली तथा उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन ऐसे सभी असाधारण पेंशन प्राप्तकर्ता, जो सेवायोजित हैं, पर भी लागू है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2016-सा-3-374(1)/दस-2016-322(1)/2008 , तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्त, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।